रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272707
CG-DL-E-19052026-272707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2466] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948
No. 2466] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(एआरआई प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

का.आ. 2558(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एतदुपरांत मंत्रालय के रूप में संदर्भित), भारत सरकार (एतदुपरांत सरकार के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (एतदुपरांत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (एतदुपरांत स्कीम के रूप में संदर्भित) का संचालन कर रहा है ;

और जबकि, उक्त स्कीम नोडल एजेंसी (एतद्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई द्वारा कार्यान्वित की जाती है;

और जबकि, उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत सरकार की संचित निधि से किया जाता है;

और जबकि, उपर्युक्त मंत्रालय की यह इच्छा है कि उक्त सरकार लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से उक्त लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण कराए अथवा आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करे, अथवा ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे अभी तक आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, वह नामांकन हेतु आवेदन करे।

अतः, अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (एतदुपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, नामत:-

1. (1) स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं आवंटित दिया गया है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, मंत्रालय उन लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है या उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण अद्यतन किए जाएंगे:

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक वह लाभार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनका वह हकदार है और जो प्रस्तुतिकरण के समय वैध हों; अथवा यदि ऐसी पहचान के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए या अधिकृत सॉफ्टवेयर में उन दस्तावेजों की विषय-वस्तु का प्रमाण देने वाली जानकारी संबंधित प्राधिकरणों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करेगा, नामत:-

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की गई पावती, जिसमें नामांकन पहचान संख्या दर्ज हो; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, नामत: -

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड

(iii) राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हों, अथवा राजस्व अधिकारी (जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी चिकित्सा अथवा बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक का प्रमाण पत्र अथवा अंक विवरण पत्र

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(4) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी खंड (3) के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचनाओं की जांच करेगा,–

(क) मायआधार (MyAadhaar) पोर्टल पर ईआईडी प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेज और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करेगा और प्रस्तुत जानकारी साझा करेगा जो ऐसे दस्तावेज में निहित जानकारी की तैयारी या रख-रखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ सुगमतापूर्वक उठाने में सक्षम बनाने हेतु मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के विषय में जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी लाभार्थी की आधार संख्या का प्रमाणीकरण, मुखाकृति, उंगलियों के निशान या आँख की पुतली आधारित (आइरिस) स्कैन जैसे किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाता है और यह प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, नामत:–

(क) यदि बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का कोई विशेष तरीका सफल नहीं होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के बाद, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार कार्ड पर मौजूद आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, आधार संख्या धारक को आधार संख्या या ई-आधार सृजित होने पर जारी किया गया आधार पत्र, या विशिष्ट पहचान भारतीय प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले या उसके एमआधार (mAadhaar) ऐप के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसकी प्रामाणिकता आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार (mAadhaar) ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित की जाती है।

(ii) आधार काजगजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सके या इसे एमआधार (mAadhaar) ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि संबंधित मंत्रालय या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से की जाती है, जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार है।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन प्रणाली का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फ़ा. सं. जे/129/2026-केवीआई(2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(ARI Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

S.O. 2558(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency :

And whereas, the Khadi and Village Industries Commission ((hereinafter referred to as the Implementing Agency) under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the Khadi Gramodyog Vikas Yojana (hereinafter referred to as the Scheme) ;

And whereas, the said scheme is implemented by the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, the Nodal Agency (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Ministry is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing of the benefit under the scheme shall be required to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case, such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry shall ensure enrolment of beneficiaries who are yet to be enrolled or update their Aadhaar details through appropriate measures:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, the beneficiary may establish the identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which is entitled and which are valid at the time of presentation or in case the software provided or authorised by the Implementing Agency for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving their consent for so obtaining, namely:-

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identification; and

(b) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, namely:–

(i) elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) ration card;

(iii) caste certificate or domicile certificate issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of matriculation issued by a recognised board of school education;

(vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) the Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities *(Divyangjan)*;

(ix) driving licence issued in India;

(x) any other document as the Ministry may specify.

(4) An officer designated by the Ministry in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),–

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:–

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter issued to an Aadhaar number holder on generation of Aadhaar number or e-Aadhaar, password protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app, after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app, after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the document through the application developed by the Ministry or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority of India.

4. In order to ensure that *bona-fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Ministry shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India.

5. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. J/129/2026-KVI(2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.19 22:02:43 +05'30'